

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

पटना, दिनांक नवम्बर, 2016

विषय :- स्व0 मदन यादव चौकीदार 3/10 औद्योगिक थाना, बक्सर के आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि कुल ₹ 10,00,000 (दस लाख रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक-2833, दिनांक 24.04.2015 द्वारा स्व0 मदन यादव, तत्कालीन चौकीदार 3/10, थाना-बक्सर, जिला-बक्सर को अपने कर्तव्य निर्वहन करने के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा उग्र होकर थाना भवन के जलते कमरे में फेंक दिये जाने के फलस्वरूप वित्त विभाग के संकल्प सं0-2411, दिनांक 12.11.2005 एवं पत्रांक-2001, दिनांक 19.08.2011 में निहित प्रावधान के आलोक में स्व0 मदन यादव, तत्कालीन चौकीदार 3/10, थाना-बक्सर, जिला-बक्सर के आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में स्वीकृत कुल ₹ 10,00,000 (दस लाख रू0) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त राशि का भुगतान स्व0 मदन यादव, तत्कालीन चौकीदार 3/10, थाना-बक्सर, जिला-बक्सर के आश्रित की विधिवत सही पहचान कर ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

3. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना के मांग सं0-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 113-पुलिस कार्मिकों का कल्याण, उपशीर्ष 0006-अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष 31 02 अनुग्रह अनुदान तथा विपत्र कोड N2055001130006 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, बक्सर होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, बक्सर से की जायेगी।

6. उपर्युक्त राशि के निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाय।

7. उपर्युक्त राशि के निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय।

9. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाय।

10. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाय।

11. उपर्युक्त में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/ब0गै0यो0-01-34/2015गृ0आ0.....पटना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रफ्तार
28/11/16

सरकार के अवर सचिव